



UPS1120022712023

न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), न्यायिक मजिस्ट्रेट, बिसवाँ, सीतापुर।

पीठासीन अधिकारी(सुभाष)(उ०प्र०न्यायिक सेवा)UP3785

दीवानी वाद संख्या-331/2023

दयाराम बनाम राम नरेश आदि।

दिनांक 19.08.2023

वादी द्वारा वाद पत्र बाबत स्थाई प्रतिबन्ध जरिए अधिवक्ता श्री सरोज मिश्रा द्वारा प्रस्तुत किया गया।  
समस्त प्रपत्रों एवं मुंसरिम आख्या का अवलोकन किया गया।

आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को सम्मन जारी हो। वादी पैरवी करे। पत्रावली वास्ते दाखिल जवाबदावा दिनांक 22.09.2023 एवं वास्ते विरचन वाद बिन्दु दिनांक 30.09.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थना पत्र 6 ग<sup>2</sup>

वादी के विद्वान अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र 6 ग<sup>2</sup> अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 सिविल प्रक्रिया संहिता पर एक पक्षीय रूप से सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के सम्यक परिशीलन के आधार पर यह विदित होता है कि वादी द्वारा उपरोक्त प्रार्थना पत्र के माध्यम से वाद के निस्तारण तक के लिए भूमिवाद स्थान ग्राम गोधनी सरैया, परगना व तहसील बिसवाँ, जिला सीतापुर प्रदर्शित नक्शा नजरी अक्षर अ,ब,स,द में वादी के शान्तिपूर्ण स्वत्व, अध्यासन, उपयोगिता व उनकी किनास में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने, भूमिवाद के रुख की ओर नया नापदान कायम करने व भूमिवाद में पूरब से पश्चिम को नयी नाली कायम करने से प्रतिवादीगण को निषेधित किये जाने की याचना की गयी है।

वादी की ओर से अपने उपरोक्त कथनों के समर्थन में सूची 11 ग<sup>1</sup> कोई भी प्रलेखीय साक्ष्य पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये प्रार्थना पत्र 6 ग<sup>2</sup> पर एकपक्षीय रूप से कोई अन्तरिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नहीं होगा।

आदेश

प्रतिवादीगण को नोटिस जारी हो। वादी पैरवी करे। प्रतिवादीगण से आपत्ति आमन्त्रित की जाये। पत्रावली वास्ते आपत्ति निस्तारण प्रार्थना पत्र 6 ग<sup>2</sup> दिनांक 13.09.2023 को पेश हो।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।

प्रार्थन-पत्र 8 ग<sup>2</sup>

वादी की ओर से प्रार्थना पत्र 8 ग<sup>2</sup> बाबत जारी किये जाने कमीशन प्रस्तुत किया गया।

सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

न्यायहित में प्रार्थना पत्र 8 ग<sup>2</sup> स्वीकार किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को कमीशन कार्य हेतु नियुक्त किया जाता है। अधिवक्ता कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि वह मौके पर जाकर उभय पक्ष की उपस्थिति में कमीशन कार्य निष्पादित करें तथा अपनी आख्या मय नक्शा नियत तिथि को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें। कमीशन कार्य हेतु वादी आवश्यक पैरवी अविलम्ब करे।

सिविल जज (जू०डि०)

बिसवाँ, सीतापुर।